न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 96–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–01–2015 पारित द्वारा एडिशनल कलेक्टर, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 01/स्वमेव निगरानी/2013–14.

———

1– विमल कुमार पुत्र समरथमल जी जैन
निवासी –36, डाबरीपीठा उज्जैन,
वर्तमान 9, उत्तम नगर हीरामील रोड़ उज्जैन
2– अंगूरबाला पत्नी पारसचन्द्र जैन
निवासी – 36, डाबरीपीठा उज्जैन,
वर्तमान 8, उत्तम नगर हीरामील रोड़ उज्जैन
3– पारसचन्द्र पुत्र आत्मज समरथमल जी जैन
निवासी–8 उत्तम नगर हीरामील रोड़ उज्जैन

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन
2– भूपेन्द्र दलाल आत्मज स्व0 बापूलाल जी
निवासी– अदम्य पैलेस 75, कोठी रोड़ उज्जैन

——— अनावेदकगण

———

श्री कृष्ण शास्त्री अभिभाषक – आवेदकगण
श्री अनिल श्रीवास्तव अभिभाषक – अनावेदक क.1
श्री ओ0पी0 शर्मा अभिभाषक– अनावेदक क. –2

———

:: आदेश ::

(दिनांक २४ जनवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत एडिशनल कलेक्टर, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–01–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2– इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक कमांक 1 विमलकुमार एवं अंगूरबाला द्वारा ग्राम पाडंया खेडी उज्जैन की भूमि सर्वे कमांक 7 का शेष रकबा 2.946 है0 के संबंध में नायब तहसीलदार के प्र0क0 44/अ–6/93–94 में पारित आदेश दिनांक 20–10–94 का अमल कराने हेत आवेदन तहसीलदार उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार उज्जैन ने प्र0कं0 260/बी–121/04–05 में पारित आदेश दिनांक 26–9–05 के द्वारा अमल करने के आदेश दिये। कलेक्टर उज्जैन के पत्र कमांक 531–एक/शिकायत/2014 दिनांक 24–1–14 के कम में अपर कलेक्टर उज्जैन ने दिनांक 30–1–14 को प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदकगण को आहूत करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाने के आदेश दिये। प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आदेश दिनांक 06–1–15 को आवेदकगण का जबाव का अवसर समाप्त किया तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 06–1–15 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–10–94 के आदेश को अपर कलेक्टर ने 19 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में लिया जबकि 180 दिन के पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता। यह भी तर्क दिया कि अरबन सीलिंग एक्ट रिपील हो गया है। यदि अतिशेष घोषित भूमि का पजेशन नहीं लिया है, तो उसे पर शासन कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी अपर कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में प्रकरण ग्राह्य किया एवं कारण बताओ सूचना पत्र 24–3–2014 को जारी कर दिया। इसी बीच अनावेदक कमांक 2 द्वारा एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अपर कलेक्टर ने पंजीबद्ध कर इसी स्वमेव निगरानी के संलग्न कर दिया जिसपर आवेदक द्वारा आपत्ति की परन्तु आवेदक की आपत्ति पर विचार नहीं किया। आवेदक द्वारा जबाव हेतु अवसर चाहा तो

आदेश दिनांक 06—1—15 द्वारा आवेदक का जबाव का अवसर समाप्त कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिया। आवेदक बीमार था जिसके प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे इसी आधार पर आवेदक द्वारा दिनांक 14—10—14 एवं 28—10—14 को समय चाहा था। आवेदक विमलकुमार के चिकित्सा रिकार्ड को भी अनदेखा कर आवेदन का जबाव का अवसर समाप्त कर दिया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनुबंध के आधार पर तहसील न्यायालय से नामांतरण किया गया था। अनुबंध के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता है। जहां आदेश पारित करने में स्पष्टतः अवैधानिकता की गई हो वहां प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने के लिए समय—सीमा की कोई बंदिश नहीं है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक को 30—9—14, 7—10—14 एवं 14—10—14 को जबाव का अवसर दिये जा चुके थे, परन्तु आवेदक द्वारा प्रकरण में जबाव प्रस्तुत नहीं करने के कारण ही अपर कलेक्टर ने आवेदक के जबाव का अवसर समाप्त किया गया है। अपर कलेक्टर के आदेश उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि ग्राम पाण्डयाखेडी तहसील उज्जैन की कृषि भूमि सर्वे कमांक 6, 7, 8, 9 से संबंधित सिलिंग प्रकरण न्यायालय सक्षम प्राधिकारी जिला उज्जैन के समक्ष प्रकरण कमांक 1496/1977—78 पंजीबद्ध होकर दिनांक 26—7—1984 रबा 4.069 हेक्टर का 1/3 भाग कृषि भूमि को अतिशेष घोषित किया जाकर दिनांक 11—9—1984 को शासन के हित में कब्जा प्राप्त कर लिया गया। यह भी तर्क दिया कि आवेदक अंगूरबाला पति पारस जैन, व—मिल पिता समरथमल जैन सहित तीस लोगों ने दिनांक 10—1—94 को एक आवेदन न्यायालय सक्षम प्राधिकारी जिला उज्जैन के समक्ष देकर विकय अनुबंध दिनांक 20—5—1994 के आधार पर तीस लोगों के नाम से उक्त भूमि सीलिंग से मुक्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया।

न्यायालय सक्षम सिलिंग प्राधिकारी ने दिनांक 30–6–1994 को अवैध आदेश पारित कर विक्रय अनुबंध के आधार पर बगैर विक्रय पत्र के तीस लोगों को भूमिस्वामी मानते हुये नामांतरण करने के आदेश दिये। तर्क में यह भी कहा कि नायब तहसीलदार उज्जैन के नामांतरण प्रकरण कमांक 44/अ6/1993–94 आदेश दिनांक 20–10–94 के द्वारा आवेदक कमांक 1 व 2 के नाम दर्ज करने के अवैध आदेश पारित किया, जिसे अपर कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में लिया है। आवेदक द्वारा प्रकरण में जबाव प्रस्तुत न करते हुये बार–बार समय की मांग की जा रही थी जिसपर अपर कलेक्टर ने जबाव का अवसर समाप्त करने में उचित कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर उज्जैन के पत्र कमांक 531–एक/शिकायत/2014 दिनांक 24–1–14 के कम में अपर कलेक्टर उज्जैन ने दिनांक 30–1–14 को प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया। अपर कलेक्टर ने दिनांक 24–3–14 को आवेदकगण (अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदकगण) को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। तत्पश्चात आवेदकगण को जबाव हेतु 28–3–14, 03–4–14, 15–4–14, 17–4–14, 5–5–14, 06–5–14, 12–5–14, 15–5–14, 19–5–14, 26–5–14, 30–5–14, 10–6–14, 20–6–14, 14–7–14, 05–8–14, 05–8–14, 21–8–14, 02–9–14, 30–9–14, 07–10–14 के अतिरिक्त 14–10–14 एवं 16–10–14 का समय प्रदान किया गया, जिसपर आवेदकगण ने दिनांक 28–10–14 को लिखित जबाव पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पृष्ठ संख्या 53 लगायत 61 के रूप में संलग्न है। अतः आवेदकगण का यह कहना कि उसका जबाव का अवसर समाप्त किया गया है वह गलत है। इसके अतिरिक्त आवेदक विमल जैन के 6–10–2014 से 16–10–14 तक ब्रिज केण्डींग हास्पीटल मुंबई में इलाज हेतु भर्ती होने के तर्क का प्रश्न है आवेदक विमल जैन के अतिरिक्त अंगूरबाला एवं

पारसचन्द जैन भी अनावेदकगण के रूप में संयोजित थे ओर उन सभी की ओर से उनके अभिभाषक प्रकरण में उपस्थित होते रहे और लिखित जबाव भी प्रस्तुत किया गया। पेशी दिनांक 28–10–14 की पेशी पर लिखित जबाव प्राप्त होने का लेख है। अतः अब इस स्तर पर आवेदकगण का यह तर्क करना मान्य नहीं किया जा सकता कि अपर कलेक्टर ने आवेदकगण का जबाव का अवसर समाप्त करने में त्रुटि की है क्योंकि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को लगभग 6 माह में 22 अवसर देने के पश्चात जबाव का अवसर समाप्त किया है जो किसी भी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। जहां तक आवेदकगण अभिभाषक द्वारा स्वमेव निगरानी को 180 दिवस में ही लिये जाने के तर्क का प्रश्न है, जहां विधि एवं नियमों के पालन में गंभीर अनियमितताएं की गई हों वहा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु समय–सीमा का कोई बंधन नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण को अपर कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। अतः अपर कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 06–1–15 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर